बनाम

न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 09/2019 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

भींवाराम रैगर पुत्र सोनाराम रैगर, जाति रैगर निवासी टटेरा, उचित मूल्य दुकानदार टटेरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.01.2018 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) उचित मूल्य दुकानदार भींवाराम रैगर ग्राम पंचायत टटेरा का आकस्मिक निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 20.12.2016 को किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठी अनियमितता दर्ज करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.12.2016 को निलम्बित कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने उक्त झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 02.01.2018 को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा झूठी अनियमितताओं की जांच नहीं करके स्टॉक रजिस्टर व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन नहीं करके, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन नहीं करके विधि विरूद्व व दस्तावेजों के विरूद्व जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

(2) अपीलान्ट सन 2001 से अधिकृत राशन विक्रेता के रूप में कार्य करता हुआ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम पंचायत सतर्कता समिति आदि की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता करने पर शिकायत सतर्कता समिति के समक्ष की जाती है जिसमें सरपंच, स्कूल प्रधानाध्यापक ग्राम के विशिष्टि गणमान्य व्यक्ति सदस्य होते हैं। राशन सामग्री के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

वितरण पर सीधा नियंत्रण सतर्कता समिति का होता है, तबकि उक्त प्रकरण में सतर्कता समिति की रेस्पोडेन्ट के समक्ष किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

(3) रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट पर अनियमितता दर्ज करके 15 उपभोक्ताओं ने मौके पर बयान करवाया कि अपीलान्ट द्वारा कई जगह गेहूं, चीनी, केरोसीन वितरण नहीं किया है। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने जवाब में पेश किया कि उपभोक्ताओं के ना तो राशन कार्ड लिए गये तथा ना ही कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। उक्त प्रकरण में पुलिय रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें पुलिस ने पाया कि पॉस मशीन के द्वारा स्वीकार नहीं होने कारण,अन्त्योदय कार्ड में चयन होने पर कम राशन मिलने के कारण राशन नहीं लेना बताया तथा भीमाराम के द्वारा राशन देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं होना बताया। अपीलान्ट के पास अक्टूबर 2016 से उचित मूल्य दुकानदार का आधा चार्ज प्राप्त हुआ तथा बाद जांच दिसम्बर 2016 में निलम्बित कर दिया गया अर्थात 3 महीने ही राशन वितरण किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट के पुलिस ने बयान लिये गये तो सामने आया कि रोशन लाल को अप्रैल 16 से, गुल्ली देवी को जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 तक, धनीराम को अप्रैल 15 से दिसम्बर 15 तक व जुलाई 16 से अक्टूबर 16 तक अचित मूल्य दुकान का चार्ज ही नहीं था, की तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित है तथा अक्टूबर 2016 से पॉस मशीन से राशन वितरण होने के कारण पाम्स मशीन द्वारा उपभोक्ताओं का राशन कार्ड स्वीकार नहीं होने के कारण राशन वितरण नहीं हो पाया। उपभोक्ताओं को अक्टूबर 2016 से पूर्व का राशन अपीलान्ट द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं था।

(4) अपीलान्ट पर तीसरी अनियमितता मौके पर स्टॉक रजिस्टर व पॉस मशीन मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। मौके पर उपरोक्त स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 140 किलोग्राम चीनी मौके पर नहीं पाई गई। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट व प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि अपीलान्ट के द्वारा स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, पॉस मशीन उपलब्ध नहीं करवाने व घर को ताला लगा होने के कारण वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ सकी तथा स्टॉक व सत्यापन करने पर दुकान में 1280 लीटर केरोसीन, 320 क्विंटल गेहूं व 142 किलोग्राम चीनी होना बताया है, जो मौके पर नहीं मिली। उक्त भौतिक सत्यापन में पूर्णतया विरोधाभाष है। बिना किसी रिकॉर्ड व तालाबन्द होने के पश्चात किस आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास कितना स्टॉक होना चाहिए यह स्पष्ट नहीं हो सकता। प्राधिकार पर निलम्बन आदेश के नियत अवधि 90 दिन के

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

अन्दर –अन्दर निरस्त नहीं किया जाकर लगभग एक वर्ष बाद निरस्त करने के कारण भी प्राधिकार पत्र बहाल करने योग्य है।

(5) अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र दिनांक 20.01.2017 को निलम्बित किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिस का सबूतों के साथ जवाब दे दिया गया। इसी बीच रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व थाना अजीतगढ़ में दिनांक 11.07.2017 को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सभी साक्ष्य प बयानों के आधार पर प्रकरण में दिनांक 14.11.2018 को बगिसा अदम वकू गलत फहमी में एफ. आर. प्रस्तुत की जो न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2018 को स्वीकृत की गई। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष जाकर प्राधिकार पत्र बहाल करने को कहा गया। इस पर रेस्पोडेन्ट ने कहा कि आपके विरूद्व एफ. आई. आर. दर्ज होने के पश्चात आपका प्राधिकार पत्र दिनांक 02.01.2018 को निरस्त फरमा दिया था। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं भिजवाई गई।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **02.01.2018** को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट के पास अक्टूबर 2016 से उचित मूल्य दुकानदार का आधा चार्ज प्राप्त हुआ तथा बाद जांच दिसम्बर 2016 में निलम्बित कर दिया गया अर्थात 3 महीने ही राशन वितरण किया गया। अक्टूबर 2016 से पॉस मशीन से राशन वितरण होने के कारण पॉस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं का राशन कार्ड स्वीकार नहीं होने के कारण राशन वितरण नहीं हो पाया। उपभोक्ताओं को अक्टूबर 2016 से पूर्व का राशन अपीलान्ट द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं था। रेस्पोडेन्ट के द्वारा झूठी अनियमितताओं की जांच नहीं करके स्टॉक रजिस्टर व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन नहीं करके, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन नहीं करके विधि विरूद्व व दस्तावेजों के विरूद्व जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। प्राधिकार पर निलम्बन आदेश के नियत अवधि 90 दिन के अन्दर –अन्दर निरस्त नहीं किया जाकर लगभग एक वर्ष बाद निरस्त करने के कारण भी प्राधिकार पत्र

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

बहाल करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **02.01.2018** निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। भींवाराम बनाम जिला रसद अधिकारी सीकर बाबत जिला रसद अधिकारी की पत्रावली 897/2017 में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साथ ही जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा समस्त तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर विवेचन उपरान्त पारित निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना व जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों का नियमों की परिधि में पूर्ण विवेचन किया गया है और उक्त जांच रिपोर्ट, दस्तावेज एवं आदेश में यह प्रमाणित है कि सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मौके पर स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक व पीओएस मशीन मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई है तथा मौके पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 140 किग्रा. चीनी जो अपीलान्ट द्वारा बताई गई थी वो नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त मौके पर 15 उपभोक्ताओं के बयान से भी यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वरा अपने जवाब में उक्त बिन्दु के परिपेक्ष्य में ऐसा कोई ठोस सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त तथ्य गलत साबित होता है। इस परिपेक्ष्य में विवेचन करने पर जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांकः 22 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner